Studio Shodwe

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्वि-मासिक राष्ट्रीय समाचार पत्र
HARHIN/11578
यमुना संदेश
चुनाव विशेषांक
मुख्य सम्पादक- सत्यम नागपाल
(M) : 93155- 55560, 93557-77739
Email : yamunasandesh2@gmail.com
www: yamunasandeh.com
कानूनी सलाहकार : साहब सिंह गुज्जर
सह-सम्पादक : अमित मंकट

समाचार पत्र में खबरें एवं विज्ञापन देने के लिए सम्पर्क करें
मुख्य सम्पादक
सत्यम नागपाल
93557-77739

Yamuna SANDESH
National News Hindi News Paper
24x7
BREAKING NEWS
सच की राह

इंडिया हेयर एंड ब्यूटी अवॉर्ड

वर्ल्ड हेर एंड मेकअप चैम्पियनशिप में अवॉर्ड जीतने के बाद सेम अली, (इंडिया)
से रचा इतिहास, वर्ल्ड हेर एंड मेकअप चैम्पियनशिप में अवॉर्ड जीतने वाले पहले मेकअप आर्टिस्ट भारतीय बने

स्टार सेम अली, ने इतिहास रच दिया. उन्होंने वर्ल्ड हेर एंड मेकअप चैम्पियनशिप में अवॉर्ड अपने नाम कर लिया है. सेम अली, ने पहला मेकअप जरूर किया था, लेकिन दूसरे ही मेकअप कॉम्पिटीशन अपने नाम कर लिया. पूरे कॉम्पिटीशन में इससे आगे कोई भी मेकअप नहीं कर सका.

यमुना संदेश न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज कुछ लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं आज हम पहुंचे हुए हैं अमरthe ज्वेलर्स यमुनानगर हरियाणा, प्यारा चौक, आज हमारे साथ उपस्थित हैं कशिश मेकओवर की ऑर्गेनाइजर पूजा bheal इंटरनेशनल क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट इंडिया हेयर ब्यूटी का अवार्ड देकर सुंदर नारंग को सम्मानित किया गया उपस्थित थे सत्यम नागपाल पत्रकार

भाजपा ने देश व प्रदेश में बिछाया सड़कों व नेशनल हाईवों का जाल, राह बनी सुगम - अरोड़ा

भाजपा ने बिना भेदभाव हर जिले में कराया विकास, बुजुर्गों को दी तीन हजार रुपये प्रतिमाह बुढ़ापा पेंशन यमुनानगर।

भाजपा प्रत्याशी घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के हर जिले में बिना भेदभाव करोड़ों रुपये का विकास कराया। बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी, बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह, गांवों व शहरों में 20 घंटे से 24 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराना, ऑनलाइन सेवाओं को घर बैठे लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, हर जिले में नॉन स्टॉप विकास कार्य कराना, प्रदेश में सड़कों व नेशनल हाईवों का जाल बिछाना भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं। यमुनानगर के हर वार्ड की हर नियमित कॉलोनी में पक्की सड़कें व गलियां, निकासी के लिए अंडरग्राउंड नालियां, पेयजल व बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया था, उसे पूरा किया गया। जिन गलियों व सड़कों में कीचड़ रहता था, आज वहां पक्की सड़कें बनने से शहरवासियों की राह सुगुम हुई है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा शुक्रवार को सरोजिनी कॉलोनी, दादूपुर, भगवानपुर, किशनपुरा माजरा, कनालसी, अमादलपुर, रतनपुरा, ज्योति पैलेस, लाजपत नगर, पुराना हमीदा, कैंप मेन बाज़ार, महावीर कॉलोनी समेत विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष मे मतदान करने की अपील की। इस दौरान पार्टी कार्यालय में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से भारत सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। वहीं, ज्योति पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल ने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम दास अरोड़ा के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की।

भाजपा प्रत्याशी अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस की भेदभाव की नीतियों के चलते दस साल पहले यमुनानगर की सड़कों बदहाल थी। चंडीगढ़ जाने के लिए तीन से चार घंटे लगते थे। लेकिन भाजपा सरकार ने बीते दस सालों मे नॉन स्टॉप विकास कराए। प्रदेश मे नेशनल हाईवे व सड़कों का जाल बिछाया। अब यमुनानगर से चंडीगढ़ मात्र एक से डेढ़ घंटे में पहुंच जाते है। सभी जिलों को नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है। भाजपा सरकार ने यमुनानगर मे गुंडाराज पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का कार्य किया है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में अनुसूचित जाति वर्ग पर भयावह अत्याचार होते थे, जिसका गोहाना व मिर्चपुर की घटनाएं साक्षात उदाहरण है। किसानों की जमीनों को झूठे हथकंडे अपनाकर हड़प लिया जाता था। परंतु भाजपा की हरियाणा सरकार व केंद्र की मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग को आगे बढ़ने का कार्य किया है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिया है। हरियाणा भाजपा सरकार ने किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद सुनिश्चित कर किसानों के हितों को सुरक्षित करने का कार्य किया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कभी संविधान के नाम पर ,कभी आरक्षण खत्म करने के नाम पर, कभी खटाखट पैसे देने की बात कहकर इस प्रकार के बहुत से झूठ बोलकर जनता को बहकाने और गरीब कमजोर आदमी को गुमराह करने का काम किया है, अब कांग्रेस के सभी झूठ जनता के सामने उजागर हो चुके है . केंद्र में मोदी सरकार तीसरी बार बन चुकी है व संविधान भी सुरक्षित है और आरक्षण से भी किसी ने किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। इसलिए जिन लोगों ने लोकसभा चुनावों मे भ्रम में आकर कांग्रेस को वोट दी अब वह विधानसभा में कांग्रेस को वोट नहीं देंगे ऐसा उन्हें पूरा विश्वास है क्योंकि जनता कांग्रेस पार्टी की सच्चाई जान चुकी है। कांग्रेस की राजनीति अपने-अपने स्वार्थ के लिए है लेकिन भाजपा में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम दास ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि देश की एकता, अखंडता व हरियाणा को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सभी लोग अपना सहयोग, विजयी समर्थन, आशीर्वाद भाजपा को दें।

फोटो कैप्शन -
कार्यक्रम मे संबोधित करते भाजपा प्रत्याशी घनश्याम दास अरोड़ा।
डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों का आशीर्वाद लेते विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी घनश्याम दास अरोड़ा।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जिला के प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को दिए सख्त निर्देश

नियमों के विरुद्ध प्रचार सामग्री छापने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जिला के प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को दिए सख्त निर्देश
नियमों के उल्लंघन पर छह महीने की सजा व प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का है प्रावधान

यमुनानगर, 26 सितंबर- हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जिला के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को चुनाव पम्पलेट, पोस्टर और संबंधित प्रचार सामग्री की छपाई और प्रकाशन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीसी ने सभी मुद्रकों और प्रकाशकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि चुनाव पम्पलेट, पोस्टर आदि की छपाई और प्रकाशन प्रतिनिधित्व की धारा 127-ए के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना जांच पड़ताल व नियमों के विरूद्ध जाकर कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें। चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पम्पलेट व पोस्टर आदि छापना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए का उल्लंघन है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसमें छह महीने की सजा से लेकर प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित हर सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अवश्य छापें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की हुई है इसलिए यह जरूरी है कि उनके पम्पलेट व पोस्टर आदि के खर्च का भी पूरा हिसाब किताब रहे। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से संबंधित पम्पलेट व पोस्टर आदि उसी स्थिति में छापें जब सामग्री छपवाने वाला व्यक्ति हलफनामे के साथ दो गवाह दें और उनके हस्ताक्षर भी लेने जरूरी हैं। ऐसे पोस्टर व पम्पलेट आदि छापने के बाद उनकी एक कॉपी जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी और राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी को कॉपी भेजकर यह बताना होगा कि अमुक व्यक्ति ने चुनाव से संबंधित कितनी संख्या में पोस्टर अथवा पम्पलेट छपवाएं हैं और उनके खर्च का भी विवरण देना होगा। कॉपी से कॉपी करना भी इसी श्रेणी में आता है। चुनाव पम्पलेट/पोस्टर का अर्थ प्रचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले उन सभी दस्तावेजों से है, जिनमें किसी भी राजनीतिक दल या विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार से संबंधित प्रचार की जानकारी हो।

Scanned with OKEN Scanner